

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प चैनपुर गांधी

385  
7/11/18

दि० 29/18

:- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चैनपुर व भू-अभिलेख निरीक्षक चैनपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार मातलुड / नायब तहसीलदार ४ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चैनपुर तहसील मातलुड व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या चैनपुर में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम  | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)          | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।) |
|---------|--------|-------------|---|---|
| 1       | चैनपुर | 468         | सुगन, सुगन, मजरा<br>फि० जैराम<br>चमार सा. डेह | सुगन, सुगन<br>मजरा फि० जैराम<br>जायव सा. डेह                  |

07/06/18  
( उप खण्ड अधिकारी )  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत, कैम्प चैनपुर गांधी  
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक : -  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार मातलुड को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।